

## WHO ने भारत में उत्पादित अवमानक कफ सरिप हेतु अलर्ट जारी किया

**वशिव स्वास्थ्य संगठन (World Health Organisation- WHO)** ने भारत में बने अवमानक कफ सरिप पर चिंता जताई है, इस सरिप के उपयोग के कारण 300 बच्चों की मौत हो गई, इसमें डायथलीन ग्लाइकोल एवं एथलीन ग्लाइकोल का उच्च स्तर होता है, जो स्वास्थ्य हेतु खतरा उत्पन्न करता है।

- WHO ने भारत में उत्पादित सात सरिप को लेकर अलर्ट जारी किया है, जबकि देश के **ड्रग्स कंट्रोलर जनरल** ने नरियात से पहले नरिदष्टि प्रयोगशालाओं में कफ सरिप का परीक्षण अनिवार्य कर दिया है।

### एथलीन ग्लाइकोल और डायथलीन ग्लाइकोल:

- एथलीन ग्लाइकोल और डायथलीन ग्लाइकोल **मीठे स्वाद वाले ज़हरीले अल्कोहल हैं।**
- इन ग्लाइकोल के साथ कफ सरिप का विशेषकर **पैरासिटामोल** युक्त उत्पादों में संदूषण हो सकता है।
  - कफ सरिप में मौजूद पैरासिटामोल, संक्रमण वाले बच्चों हेतु उपयोगी और सुरक्षित है। यह **एक दर्द निवारक है जो बुखार को कम करने में सहायता करता है।**
- डायथलीन ग्लाइकोल और एथलीन ग्लाइकोल मलावटी पदार्थ** हैं जिनमें कभी-कभी लागत में कमी करने हेतु ग्लिसरीन या प्रोपलीन ग्लाइकोल जैसे गैर-वशिले वलायक के विकल्प के रूप में तरल दवाओं में वलायक के रूप में अवैध रूप से उपयोग किया जाता है।
  - एक घातक ओरल डोज़ शरीर के वज़न के प्रति किलोग्राम लगभग 1,000-1,500 मिलीग्राम है।
  - कई दिनों या हफ़्तों तक कम खुराक लेने से भी वषाक़्तता की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।
  - संदूषण के लक्षण **तब तक प्रकट नहीं होते जब तक कि बड़ी मात्रा में सेवन न किया गया हो।**
- एंटीफ़्रीज़ में इसके उपयोग के अलावा **एथलीन ग्लाइकोल का उपयोग हाइड्रोलिक तरल पदार्थ, प्रटिगि स्याही और पेंट सॉल्वेंट्स में एक घटक के रूप में किया जाता है तथा डायथलीन ग्लाइकोल का उपयोग एंटीफ़्रीज़, बरेक तरल पदार्थ, सगिरेट एवं कुछ रंगों की व्यावसायिक नरिमाण में किया जाता है।**

### अवमानक कफ सरिप से जुड़े जोखिम:

- हानिकारक पदार्थों की उपस्थिति:**
  - अवमानक कफ सरिप में उच्च स्तर के डायथलीन ग्लाइकोल और एथलीन ग्लाइकोल हो सकते हैं, जो कडिनी को नुकसान पहुँचा सकते हैं तथा गंभीर स्वास्थ्य जोखिम उत्पन्न कर सकते हैं।
- अवैज्ञानिक संयोजन:**
  - कुछ कफ सरिप में रासायनिक घटकों का अवैज्ञानिक संयोजन हो सकता है जो एक-दूसरे के साथ परस्पर क्रिया कर सकते हैं और संभावित रूप से नुकसान पहुँचा सकते हैं।
- चिकित्सीय प्रसंगिकता का अभाव:**
  - अवमानक कफ सरिप में चिकित्सीय प्रसंगिकता की कमी हो सकती है, जिसका अर्थ है कि वे खाँसी उत्पन्न करने वाली अंतरनहित स्थिति का प्रभावी ढंग से इलाज नहीं कर सकते हैं।
- बच्चों पर प्रतिकूल प्रभाव:**
  - कोडीन युक्त कुछ कफ सरिप बच्चों को दिये जाने पर नशे की लत लगने एवं जानलेवा भी हो सकते हैं। इसके साथ सुस्ती, चक्कर आना, धुँधला दिखाई देना, मतली और बोलने में कठिनाई का भी अनुभव किया जा सकता है जो संभावित नुकसान का संकेत देता है।

### भारत में संबंधित वनियमन:

- औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940:**
  - औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940** और नयिम 1945 ने औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधनों के वनियमन के लिये केंद्रीय और राज्य नयियमकों को वभिन्न जमिंदारियों सौंपी है।
  - यह **आयुर्वेदिक, सदिध, यूनानी दवाओं के नरिमाण हेतु लाइसेंस जारी करने के लिये नयियमक दशा-नरिदेश** प्रदान करता है।
  - नरिमाताओं के लिये सुरक्षा एवं प्रभावशीलता के प्रमाण, **बेहतर वनरिमाण प्रथाओं (GMP) के अनुपालन** सहित वनरिमाण इकाइयों एवं दवाओं के लाइसेंस हेतु नरिधारित आवश्यकताओं का पालन करना अनिवार्य है।
    - केंद्रीय औषधिमानक नयितरण संगठन (CDSCO):**
      - CDSCO औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम के तहत केंद्र सरकार को सौंपे गए कार्यों के नरिवहन के लिये

केंद्रीय औषधि प्राधिकरण है।

• प्रमुख कार्य:

- दवाओं के आयात, नई दवाओं और नैदानिक परीक्षणों की मंजूरी पर नियामक नियंत्रण।
- केंद्रीय लाइसेंस अनुमोदन प्राधिकारी के रूप में कुछ लाइसेंसों का अनुमोदन।

भारत में औषधियों और फार्मास्यूटिकल को वनियमिति करने वाली प्रमुख संस्थाएँ				
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय	वाणज्य मंत्रालय	विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय	पर्यावरण मंत्रालय
स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (DGHS)	<a href="#">भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR)</a>	औषध विभाग	पेटेंट कार्यालय	जैव प्रौद्योगिकी विभाग (DBT)
वनियमिति के लिये पर्यावरणीय मंजूरी	केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO), जिसकी अध्यक्षता भारत का औषधि महानियंत्रक (DCGI) करता है + वैधानिक समितियाँ + सलाहकार समितियाँ	राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA); औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश (DPCO 2013)	पेटेंट महानियंत्रक (Controller General of Patent)	<a href="#">वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (CSIR)</a> प्रयोगशालाएँ

स्रोत: द हद्दि

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/who-issues-alert-for-substandard-cough-syrups-produced-in-india>

